**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 13 / 2019 (राजसमन्द आर्डर)**

शंकरलाल पिता देवीलाल जी नागदा, निवासी लाल मादडी, पटवार सर्कल मादडी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्रीमती सीता देवी पुत्री शंकरलाल जी नागदा पत्नी महेश कुमार जी जोशी, निवासी 401, सरल अपार्टमेन्ट रूपसागर रोड़, केशव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर (राज.)
2. तुलसीराम पिता देवीलाल जी नागदा, निवासी लाल मादडी, पटवार सर्कल मादडी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 26.03.2019, प्र॰ सं॰ 11 / 19

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री दिलीप नागदा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एफ.एल. बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

**निर्णय** **दिनांक 23–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लालमादडी में निम्नलिखित भूमियां स्थित हैं, जिनका विवरण निम्न परिशिष्ठों में अंकित है। प्रार्थी का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम

संख्या 4 अनुसार होकर निम्न परिशिष्ठ की भूमियों में प्रार्थीया का जन्म से अधिकार निहित है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के हक अधिकारों को नष्ट करने के लिए भूमि रहन, बेह, बक्षीस करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निर्णय तक उक्त परिशिष्ठों की खाता संख्या 629 से 635 व 75 में वर्णित भूमियों को खुर्द–बुर्द नहीं करने, रहन, बेह बक्षीस नहीं करने एवं हस्तान्तरण नहीं करने हेतु विपक्षी संख्या 1 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 26–03–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एफ. एल. बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–03–2019 की अपील इस न्यायालय में 60 दिवस में अर्थात 25–05–2019 तक प्रस्तुत हो जानी थी, किन्तु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब सवा माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अल्प विलम्ब के कारण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों

को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा स्थगन होने के बावजूद भूमियों का विक्रय किया गया है तथा और जमीनें भी बेचने पर उतारू थे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए विवादित भूमियां को प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की पैत्रृक/सहदायिकी की माना है एवं इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु उसके पक्ष में मानते हुए मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो उपलब्ध विधि सम्मत है, क्योंकि यदि अपीलान्ट द्वारा भूमियों का विक्रय कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीया के वाद का महत्व ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीया का उक्त भूमियों में हक अधिकार बनता है अथवा नहीं इसका निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को विवादित भूमियों के विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–03–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.01 14:59:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: